सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

## पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 89 / 2018 अपील (RCMS/2018/00096)
पंजीयन दिनांक – 19.09.2018
निर्णय दिनांक – 12.11.2018

1. श्री रामलाल पिता श्री चेना बलाई, निवासी गाडरियावास गुड़ला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गेहरीलाल पिता श्री नानालाल बलाई, निवासी आत्मा, तहसील व जिला राजसमन्द।
2. श्री मांगीलाल पिता श्री नानालाल बलाई, निवासी आत्मा, तहसील व जिला राजसमन्द।
3. ख्यालीलाल पिता नानालाल अवयस्क जरिये संरक्षक भ्राता श्री मांगीलाल पिता श्री नानालाल बलाई, निवासी आत्मा, तहसील व जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती गीता पुत्री श्री नानालाल बलाई, निवासी आत्मा, तहसील व जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती शारदी पुत्री श्री नानालाल बलाई, निवासी आत्मा, तहसील व जिला राजसमन्द।
6. श्रीमती चुन्नीबाई पत्नि श्री परथा बलाई, निवासी गुगलेटा, तहसील व जिला राजसमन्द।
7. श्रीमान् तहसीलदार, राजसमन्द।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री कमलेश चौहान – वकील अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील रेस्पोडेंट संख्या–1

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 21 / 2012 दिनांक 23.06.2016

## निर्णय

दिनांक 12.11.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 21/2012 दिनांक 23.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने तहसीलदार, राजसमन्द के नामान्तकरण संख्या 492 दिनांक 25.05.1992 के विरूद्ध एक अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की और अनुरोध किया कि तहसीलदार, राजसमन्द द्वरा दिनांक 26.05.1992 को ग्राम पीपलांत्रिकलां में उनके नाना श्री दल्ला पिता नन्दा बलाई की खातेदारी भूमि का श्री दल्ला की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 492 श्री परथा के नाम खोल दिया जबकि श्री दल्ला की एकमात्र वारिस रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की माता श्रीमती भंवरी बाई है, अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द ने निर्णय दिनांक 23.06.2016 से उक्त अपील स्वीकार कर तहसीलदार, राजसमन्द के नामान्तरकरण संख्या 492 दिनांक 26.05.1992 को निरस्त किया और प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि मामलें में पुनः जांच की जाकर संबंधित पक्षकार को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा कि–

> ''अपीलार्थीगण के द्वारा तहसीलदार, राजसमन्द की ओर से दिनांक 26.05.1992 को स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 492 को इस आधार पर चुनौती दी गई कि अपीलार्थीगण के नाना स्व. श्री दल्ला की एक मात्र वारिस उनकी पुत्री भंवरीबाई थी और अपीलार्थीगण की माता भंवरीबाई की स्वर्गवास दिनांक 30.11.2010 को हो जाने से अपीलार्थीगण उसके एकमात्र वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की जानकारी किये बिना ही आक्षेपित नामान्तकरण को भंवरीबाई के स्थान पर श्री परथा के नाम खोला गया जबकि परथा अपीलार्थीगण के नाना दल्ला के काका का लड़का होकर भाई होता है जो सजरे से स्पष्ट है। इसकी पुष्टि में अपीलार्थीगण के द्वारा उनके नाना स्व. श्री दल्ला जी खाता संख्या 38 में खातेदारी भूमि आ.न. 355 रकबा 0.17 बीघा भूमि ग्राम आरणा पटवार सर्कल पीपलांत्रीकला में होकर जरिये नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 05.03.2012 से अपीलार्थीगण के नाम दर्ज हुई है, के नामान्तरण व नकल जमाबन्दी की प्रति पेश की गयी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त मामलें में नामान्तरण संख्या 492 दिनांक 26.05.1992 के संबंध में पुनः जांच कर संबंधित पक्षकार को सुना जाकर नियमानुसार

निस्तारण करवाया जाना उचित है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य होना पाया जाता है।''

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित। दीगर रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 30.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व ग्राम आरना, पटवार क्षेत्र पीपलांत्री कला, तहसील व जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 167/91 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 355 रकबा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमियों के सम्बन्ध में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 492 दिनांक 25.05.1992 को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा अपनी माता की भूमि होने बाबत श्री परथा के नाम पर स्वीकृत नामान्तकरण को अधीनस्थ न्यायालय के यहां पर चुनौती दी गई। जिस अपील को जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा चुन्नीबाई के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तहसीलदार, राजसमन्द को रिमाण्ड की गई जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्यों की जानकारी होते हुए कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में परथा की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नि चुन्नीबाई के नाम नामान्तकरण संख्या 178 दिनांक 05.07.2011 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण को मांगीलाल वगैरा द्वारा चुनौती देकर अपास्त कराये बगैर ही उक्त अपील पेश की गई। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संख्या 178 को निर्णित किये बगैर पारित किया गया आदेश अपास्त योग्य हैं। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 20 वर्ष बाद पेश की गई जो मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 दल्ला के पुत्र–पुत्री नहीं है। भंवरीबाई की मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। भंवरी बाई ने अपने जीवन काल में उक्त नामान्तकरण को कोई चुनौती नहीं थी उसका कोई आधार व कारण नहीं बताया। अपीलान्ट उक्त भूमि का क्रेता है और उसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख से चुन्नी बाई से उक्त भूमि वर्ष 2012 में क्रय की थी तथा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करायी व मौके पर काबिज हुआ तथा अपीलार्थी ने उक्त भूमि का खनन पट्टा स्वीकृत होने से पट्टाधारी के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान कर रखा है। लेकिन उसे अपना पक्ष रखने का अधीनस्थ न्यायालय में कोई अवसर नहीं दिया और आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी उक्त आदेश से प्रभावित व्यक्ति है उके वैध हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 23.06.2016 के आदेश की जानकारी पूर्व में कभी नहीं थी, प्रथम बार जानकारी दिनांक 16.04.2018 को

हुई और नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है। अन्त में अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.06.2016 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट–1 ने अपनी बहस में बताया कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 23.06.2016 में प्रकरण रिमांड किया गया। उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा 2017 में आदेश पारित किया गया एवं पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण खोल दिया गया। अपीलान्ट एग्रीवड व्यक्ति नहीं होकर धारा 96 का प्रार्थना पत्र लगा जिला कलक्टर के निर्णय को 2 वर्ष बाद चुनौती दी जबकि जिला कलक्टर के आदेश की पालना में नया आदेश हो चुका है। जिला कलक्टर का निर्णय वेस्ट हो चुका है। अतः अपील काबिल निरस्त के है। जिला कलक्टर के आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा निर्णय दिनांक 15.12.2017 से विरासत से मृतक दल्ला पिता नन्दा बलाई के विधिक वारिसान श्री मांगीलाल, गेहरी लाल, ख्यालीलाल (नाबालिग), गीता देवी, शारदा देवी माता भंवरी देवी पिता दल्ला बलाई सा. आत्मा ही.ब. के नामान्तकरण दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 23.06.2016 को ही हो गयी थी तथा यह अपील दो साल के करीब मयाद बाहर है तथा यह अपील इसी बिन्दु पर निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट कथित आदेश से प्रभावित व्यक्ति नहीं है। कथित आदेश से उसके वैध हक व अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट–1 ने अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाने बाबत अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि परथा रेस्पोडेंट संख्या–1 से 5 के नाना दल्ला के काका का लड़का होकर भाई होता है जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत सजरे से स्पष्ट है। इसकी पुष्टि में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के द्वारा उनके नाना स्व. श्री दल्ला जी खाता संख्या 38 में खातेदारी भूमि आ.न. 355 रकबा 0.17 बीघा भूमि ग्राम आरणा पटवार सर्कल पीपलांत्रीकला में होकर जरिये नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 05.03.2012 से रेस्पोडेंट संख्या–1 से 5 के नाम दर्ज हुई है, के नामान्तरण व नकल जमाबन्दी की प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पेश की गयी। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 5 के नाना स्व. श्री दल्ला की एकमात्र वारित उसकी पुत्री भंवरी बाई है और उसकी मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 उसके एकमात्र वारिस है। उक्त परिस्थितियों और तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा निर्णय दिनांक 23.06.2016 से तहसीलदार,

राजसमन्द के नामान्तरकरण संख्या 492 दिनांक 26.05.1992 को निरस्त किया और प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि मामलें में पुनः जांच की जाकर संबंधित पक्षकार को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

साथ ही प्रश्नगत अपील निर्णय दिनांक 23.06.2016 के 2 वर्षो के उपरान्त विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस हेतु दिये गये कारण न तो उचित है, न पर्याप्त है।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण विवेचना, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द का निर्णय दिनांक 23.06.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( भवानी सिंह देथा )
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर